"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2011—आश्विन 15, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 1391/700/अव./2011/1-8/स्था.—श्री असफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल विभाग को दिनांक 29-8-2011 से 3-9-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-8-2011 एवं 4-9-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दीकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दीकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 1393/683/अव./2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 29-8-2011 से 9-9-2011 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-8-2011, 10-9-2011 एवं 11-9-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 1395/682/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. एल. आदिले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 25-7-2011 से 10-8-2011 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-7-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आदिले, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आदिले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदिले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्रमांक 1405/689/अव./2011/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 25-7-2011 से 30-7-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 एवं 31-7-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चांदे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चांदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-4 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	मर्राकोना प. ह. नं. 4	810/2	0.01	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छ.ग.	लिमतरा-भाटापारा मार्ग के कि.मी. 13/8 एवं कि.मी. 14/2 में निर्मित बंजारी नाला पुल के पहुंच मार्ग से ग्राम मर्रा-कोना को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			811/4			
			814/3	0.12		
			815	0.20		
		योग	3	0.33		

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक 1339/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 26/अ-82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प.ह.नं. 72/15	1395	4.66	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नई राजधानी में रेल्वे लाईन हेतु.
			1620	0.13		
			1622	0.33		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1634	0.44		
			1754	0.19		
			1758	0.18		
			1759/2	0.19		
			1790	0.34		
			1826	0.08		
			1911	1.33		
			1918	0.17		
			1919	0.33		
			1942	0.29		
		योग	**13**	**8.66**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक 1340/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 22/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प.ह.नं. 72/15	1430	1.27	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नई राजधानी में रोड क्रमांक 04 एवं विकास कार्य हेतु.
			1432	1.85		
			1497	0.54		
			1499	0.43		
			1539	1.21		
			1629	0.13		
			1760	0.40		
			1815	0.15		
			1816	0.21		
			1820	0.10		
			1921	0.88		
			1955	0.36		
		योग	**12**	**7.53**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक 1342/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 15/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प.ह.नं. 21	511	0.050	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर विकास कार्य अंतर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु.
			512	0.100		
			547	1.100		
			548	0.030		
			621/1	0.200		
			624	0.090		
			625/2	0.320		
			634	0.240		
		योग	**8**	**2.130**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक 1343/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 44/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भेलवाडीह प.ह.नं. 22	493	0.96	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर विकास कार्य अंतर्गत बाटनिकल पार्क निर्माण हेतु.
			502	0.45		
		योग	**2**	**1.41**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक 1344/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 25/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	झांकी प.ह.नं. 21	573	0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर विकास कार्य एवं प्लानिंग हेतु.
			574	0.05		
			575	0.10		
			576	0.31		
			577	0.10		
			578/1	0.58		
			578/2	0.35		
			579	0.33		
			580	0.07		
			581	0.59		
			583	0.08		
			585	0.42		
			586/1	0.55		
			586/2	0.08		
			587	0.39		
		योग	**15**	**04.06**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक 1345/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 45/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प.ह.नं. 139/18	184	1.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर परियोजना अंतर्गत जंगल सफारी निर्माण हेतु.
			185	0.12		
			186	5.58		
			187	14.29		
			188	9.93		
			189	0.78		
		योग	6	31.72		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक/5171/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.705 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	45/5	0.304
	45/6	0.050
	45/7	0.180
	45/1	0.080
	45/2	0.061
	45/4	0.030
योग	6	0.705

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दूधनदी सेतु निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक/5172/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदेभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369/1, 400, 402/2	0.110
369/2, 370/4	0.131
370/2	0.080
370/5	0.020
370/6, 374/1	0.040
370/8, 370/10	0.131
371, 376	0.130
375, 402/1	0.070
378	0.110
383/1	0.030
401	0.150
394/21	0.010
394/22 क	0.010
394/17 क	0.004
394/6	0.002
योग 22	1.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दूधनदी सेतु निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि/2011-12/3523—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण कलेक्टर कार्यालय महासमुंद हो जाने से उनके स्थान पर सुश्री प्रियंका शुक्ला, (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली के पद पर दिनांक 02-09-2011 को उपस्थित हो चुकी है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर सुश्री प्रियंका शुक्ला, (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
प्रबंध संचालक.